4. भारत में बैंकिंग

भारतीय बैंकिंग का इतिहास

आधुनिक बैंकों का आरंभ सन् 1157 में इटली में 'बैंक ऑफ वेनिस' की स्थापना के साथ माना जाता है। आगे चलकर 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैक ऑफ जेनेवा तथा 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनियों के प्रवेश के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के विकास में तेजी आई।

भारत में बैंकिंग विकास

प्रथम चरण

भारत का प्रथम बैंक सन् 1770 में 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' नाम से कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में स्थापित हुआ। पूर्णत: यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित इस बैंक की स्थापना एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया था। यह बैंक शीघ्र ही बंद हो गया।

द्वितीय चरण

ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत मे तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बाम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे और 1862 तक इन्हें नोट निर्गमन का अधिकार भी प्राप्त था।

मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही कार्य करने के कारण तीनों प्रेसीडेंसी बैंक असफल हो गये और 1921 में उनका एक दूसरे मे विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे चलकर 1 जुलाई, 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रख दिया गया।

तृतीय चरण

1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 मे ही एलाइंस बैंक ऑफ शिमला, तथा अवध कॉमर्शियल बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक तथा 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूपेण भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 1906 मे बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बडौदा, 1911 मे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा 1913 मे बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई।

चतुर्थ चरण

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में बैंकिंग विकास की दर त्वरित हुई। 1921 मे तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1930 में ही केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन मे सुझाव दिया था कि देश मे एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एंव सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधि नियम बनाने पर बल दिया जाये। 1934 मे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। फलत: 1 अप्रैल, 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया।

पंचम चरण

इस अवधि को बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। सभी बैंकों के मांग निक्षेप की मात्रा में वृद्धि हुई। नये बैंकों की स्थापना के साथ-साथ पुराने बैंकों द्वारा नई-नई शाखायें खोली गई। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना हुई।

षष्टम चरण

भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च 1949 मे भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया।

19 जुलाई, 1969 तथा 15 अप्रैल, 1980 को क्रमश: 14 तथा 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पूर्व 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की गई जिससे ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय संसाधन अधि क मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके।

सप्तम चरण (1991 से अब तक)

1991 मे नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद 1993-94 में निजी क्षेत्र में पुन: बैंक खोलने की अनुमति दे दी गयी। इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना विस्तार करने तथा नई शाखायें खोलने की अनुमति दे दी गयी।

सीमित देयता के आधार पर 1881 मे अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गयी जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक

था। पूर्णरूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank - PNB) था। इसकी स्थापना 1894 में की गयी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

बैंकों को अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमा राशियों 50 करोड रूपये से अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वे निम्नलिखित है:

- पंजाब नेशनल बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ बडौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- केनरा बैंक
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- सिंडीकेट बैंक
- यूनाइटेड ऑफ इंडिया
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
- इंडियन बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सरकार ने 15 अप्रैल, 1980 को 6 निजी बैंकों का पुन: राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिनकी जमा राशियां 200 करोड रूपये से अधिक थी ये बैंक है:

- विजया बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- न्यू बैंक ऑफ इंडिया
- आंध्रा बैंक
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- कॉर्पोरेशन बैंक
- सितंबर, 1993 मे सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैं देश का केंद्रीय बैंक है। देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए अगस्त, 1925 मे हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया। यंग हिल्टन कमेटी की अनुशंसा पर 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। शुरू में RBI निजी अंशधारियों का बैंक था। 1 जनवरी, 1949 मे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध संचालन एक 20 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसका चेयरमैन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। प्रबंधन संचालन मंडल में गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। इनकी पुन: नियुक्ति की जा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 स्थानीय कार्यालय, नयी दिल्ली, कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में है, जबकि 17 क्षेत्रीय कार्यालय है।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य निम्नवत् है:

- मौद्रिक एंव ऋण नीति का सृजन
- नोटों के निर्गमन का एकाधिकार
- सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार
- बैंकों का बैंक अंतिम ऋणदाता
- समाशोधन कार्य
- विदेशी विनिमय नियंत्रण
- बैंकिंग प्रणाली का नियमन
- साख नियंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से आशय एक ऐसी नीति से है, जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य मे स्थायित्व हेतु एवं साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एंव नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के निम्नवत् उद्देश्य होते है:

- मूल्यों में स्थायित्व
- विनिमय दरों में स्थायित्व
- आर्थिक विकास
- मुद्रा की स्थापना
- बचत एवं विनियोग में साम्य
- आय में स्थिरता
- आर्थिक स्थिरता
- विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना
- कुशल भुगतान तंत्र

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष भर में 2 बार सामान्यत: अप्रैल और अक्टूबर मे अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती

है।

भारतीय रिजर्व बैंक का फायनेंशियल इयर (वित्तीय वर्ष) 1 जुलाई से आरंभ होकर 30 जून को समाप्त होती है।

रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियां

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर वह विशेष ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंको को ऋण उपलब्ध कराती है। बैंक दर को बट्टा दर भी कहा जाता है। बट्टा दर से आशय उस दर से है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है। भारतीय रिजर्व बैंक दर में परिवर्तन करके साख नियंत्रण करता है। बैंक दर मे कमी साख की मात्रा को बढ़ा देती है। बैंक दर में वृद्धि साख को कम कर देती है इसके माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करती है। बैंक दर जुलाई 2013 से 10.25 प्रतिशत है।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी समग्र नकद जमा का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्यतः रखना पड़ता है। इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात के अधिक होने पर बैंकों के पास नकदी की कमी होती है। फलतः उनके द्वारा कम साख उपलब्ध कराया जाता है। इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात के कम होने पर बैंकों के पास नकदी अधिक होती है। फलतः साख सृजन अधिक होता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात मे परिवर्तन करके साख सृजन की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करता है। जनवरी, 2007 में RBI Act - 1934, 1934 में संशोधन करके उसे अधिकार दे दिया गया कि वह CRR की न्यूनतम सीमा 3 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा को चाहे तो समाप्त कर सकती है। CRR सितम्बर 2013 में 4 प्रतिशत था।

रिवर्स रेपो दर

यह भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के मध्य सम्पन्न समझौता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन प्राप्त करता है तथा भविष्य मे उन प्रतिभूतियों को पुनः वापस क्रय करने का समझौता भी करता है। इस समझौते के अंतर्गत प्राप्त देय ब्याज की दर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपोदर सितम्बर 2013 से 6.25 प्रतिशत रहा।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statuary Liquidity Ratio)

सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित प्रतिशत CRR के अंतर्गत रखे गये नकद के अतिरिक्त नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा की स्वीकृति प्रतिभूतियों मे रखना पड़ता है। इसकी न्यूनतम सीमा 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 40 प्रतिशत है। जनवरी 2007 में RBI Act- 1934, 1934 में संशोधन करके उसे अधिकार दे दिया गया कि वह SLR को न्यूतनम और अधिकतम सीमा वह समाप्त कर सकता है।

खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब सरकारी हुंडियों और प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण करता है, तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, तब बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत तब भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचती है, तब बाजार में तरलता में कमी हो जाती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचकर तरलता को बढ़ाता है तथा प्रतिभूतियों को क्रय करके तरलता को कम करता है।

रेपो दर (Repurchasing Option Rate)

यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराने की व्यवस्था / समझौता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी प्रतिभूतियों को पुनः क्रय करने के समझौते के साथ बेचकर वाणिज्यिक बैंक ऋण प्राप्त करते है, तो देय ब्याज की दर रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट के अंतर्गत केवल 1 वर्ष के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। रेपोदर सितम्बर 2013 से 7.25 प्रतिशत थी।

अनुसूचित बैंक (Schedule Bank)

ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची मे सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से निम्नवत् सुविधा प्राप्त होती है।

- अनुसूचित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों को प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा प्राप्त हो जाती है।
- अनुसूचित बैंकों को उदार शर्तों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Schedule Bank)

ऐसे बैंकों को गैर-अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची - 2 में नहीं किया गया है। इन बैंकों को वह सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती है।

भारतीय स्टेट बैंक (STATE BANK OF INDIA)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रामीण साख व्यवस्था की जांच-परख के लिए अगस्त, 1951 मे गोरवाला समिति (Gorwaka Committee) का गठन किया गया। समिति ने 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इम्पीरियल बैंक के कार्यों की आलोचना करते हुए उसके राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक (STATE BANK OF INDIA) कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड रूपये है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की कुल अंशपूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 59.41 प्रतिशत है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का केंद्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है। इसके 13 प्रधान कार्यालय मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, पटना, गुवाहाटी तथा बंगलौर में है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन 20 सदस्यीय एक केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके केंद्रीय संचालक मंडल में एक अध्यक्ष तथा दो प्रबंध निदेशक होते है। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते है, जिनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय संचालक मंडल के 6 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा तथा 6 सदस्य रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अंशधारियों द्वारा मनोनीत किये जाते है। इसके अतिरिक्त एक संचालक भारतीय रिजर्व बैंक तथा 2 संचालक सहकारिता एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े होते है। केंद्रीय संचालक मंडल के अध्यक्ष एंव प्रबंध संचालक का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होता है।

भारतीय स्टेट बैंक की पंचलाइन (सूक्त वाक्य) है: 'With you all the way' यानि 'हर कदम आपके साथ'। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई) द्वारा प्रयोग किये जा रहे कुछ अन्य पंच लाइन है: 'Only Banking, Nothing Else' तथा 'हर भारतीय का बैंक' आदि।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में भारती स्टेट बैंक समूह की 17979 शाखाएं कार्य कर रही है। RBI के राष्ट्रीय के समय इसके साथ अन्य 7 बैंकों (वर्तमान में केवल 5) को RBI के सहायक बैंक के (Associate Bank) के रूप में बदल दिया गया था और इसे स्टेट बैंक समूह (State Bank Group) का नाम दिया गया। RBI के उक्त सहायक बैंक थे:

- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (1955 में बीकानेर और जयपुर के अलग-अलग स्टेट बैंक थे जिन्हें बाद में मिलाकर एक कर दिया गया)
- स्टेट बैक ऑफ हैदराबाद
- स्टेट बैक ऑफ पटियाला
- स्टेट बैक ऑफ इन्दौर
- स्टेट बैक ऑफ मैसूर
- स्टेट बैक ऑफ सौराष्ट्र
- स्टेट बैक ऑफ त्रावणनकोर

आगे चलकर उक्त सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैक मे विलय करने का निर्णय लिया गया। हाल में स्टेट बैक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैक ऑफ इन्दौर का भारतीय स्टेट बैक मे विलय कर दिया गया। वर्तमान में स्टेट बैक के सहयोगी बैंकों की संख्या 5 रह गयी है।

वर्तमान में भारतीय स्टेट बैक की विश्व के 32 देशों में लगभग 90 शाखायें है। विदेश मे इसकी प्रथम शाखा श्रीलंका की राजधानी कोलम्बों में स्थापित हुई। हाल में भारतीय स्टेट बैक चीन में अपनी शाखा खोली और चीन में शाखा खोलने वाला प्रथम भारतीय बैंक बन गया।

भारतीय स्टेट बैक की विदेशी अनुषंगियां

- एसबीआई इंटरनेशनल (मॉरिशस) लि.
- स्टेट बैक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
- स्टेट बैक ऑफ इंडिया (कनाडा)
- आईएनएमबी बैंक लि. लाओस

भारतीय स्टेट बैक की गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (एसबीआई कैप)
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. (एसबीआई फंड)
- एसबीआईडीएफएचआई लि. (एसबीआईडीएफएचआई)
- एसबीआई फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआई फैक्टर्स)
- एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लि. (एसबीआई सीपीएसएल)

बैंक में सरकार की शेयरधारिता

बैंक	सरकार की शेयरधारिता (प्रतिशत में)
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.20
पंजाब एंड सिंध बैंक	100.20
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80.20
इंडियन बैंक	80.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.77
यूको बैंक	63.60
केनरा बैंक	73.17

सिंडीकेट बैंक	66.47
बैंक ऑफ इंडिया	64.50
इंडियन ओवरसीज बैंक	61.25
भारतीय स्टेट बैंक	59.41
पंजाब नेशनल बैंक	57.80
कॉर्पोरेशन बैंक	57.17
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.43
इलाहाबाद बैंक	55.23
विजया बैंक	53.87
बैंक ऑफ बडौदा	53.41
आईडीबीआई लिमि.	52.71
आंध्रा बैंक	51.55
देना बैंक	51.19
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.09

भारत में बैंकिंग संस्थाएं

कुल वाणिज्यिक बैंक	96
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	26
निजी क्षेत्र के बैंक	22
विदेशी बैंक	31
लोकल एरिया बैंक	04
स्टेट को-आपरेटिव बैंक	31
अर्बन को-आपरेटिव बैंक	1721
जिला सहकारी बैंक	371
देश मे कुल बैंक शाखाएं	54000
कार्यरत एटीएम मशीनें	18000
देश का केंद्रीय बैंक	आरबीआई
सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक	एसबीआई

बीमा क्षेत्र मे स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा क्षेत्र में एसबीआई लाइफ नाम से वर्ष 2001 से काम कर रहा है। इसके लिये एसबीआई ने फ्रांस की कार्डिफ एस.ए. के साथ गठबंधन कर रखा है। जीवन बीमा क्षेत्र में काम करने वाला भारत का यह प्रथम वाणिज्यिक बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक ने अब साधारण बीमा (General Insurance) के क्षेत्र मे प्रवेश करने को तैयार ह। एसबीआई ने इसके लिए आस्ट्रेलिया के विख्यात इंश्योरेंस आस्ट्रेलिया ग्रुप (IAG) के साथ अनुबंध किया है। इस संयुक्त उपक्रम में भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत तथा आईएजी की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक

भारतीय स्टेट बैंक भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक तथा तीसरे पायदान पर बैंक ऑफ बडौदा स्थित है। केनरा बैंक चौथे स्थान पर मौजूद है।

वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks)

वाणिज्यिक बैंक वे है जो लोगों की अतिरिक्त धनराशि को जमाओं (डिपोजिट्स) के रूप में स्वीकार करते है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्याज पर ऋण देते और अन्य राशि को लाभ के लिए निवेश करते है।

भारत में वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 26 है। ये है:

- राष्ट्रीयकृत बैंक - 19
- भारतीय स्टेट बैंक - 1
- एसबीआई के सहयोगी बैंक - 5
- आई डी बी आई - 1

शेयर जारी कर बाजार से पूंजी उगाहने वाला भारत का प्रथम बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है।

देश के वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

- अनुसूचित बैंक (Schedules Bank)
- गैर अनुसूचित बैंक (Non-Schedules Bank)

अनुसूचित बैंक: अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिसका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची - द्वितीय मे सम्मिलित किया गया है।

इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि निम्नलिखित शर्तें पूरी करते है:

(i) बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष मे कम से कम 5 लाख रूपया हो।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक को गारंटी कि बैंक का कोई भी कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित के विरूद्ध न हो।

गैर अनुसूचित बैंक : जो बैंक अनुसूचित नहीं होते है, वे गैर अनुसूचित कहलाते है। इस प्रकार के बैंकों की संख्या मे निरंतर कमी हो रही है।

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 1982 को भारतीय रिजर्व

बैंक के कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित और विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि (दीर्घकालीन परिचालन) और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि को विलय करके की गयी थी।

नाबार्ड के उद्देश्य (Objectives of NABARD)

नाबार्ड एक शीर्ष विकास बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इस बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्यों से की गई:

- एकीकृत ग्रामीण विकास को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करना और इस पर सारा ध्यान केंद्रित करना।
- सम्पूर्ण ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रबिन्दु के रूप में कार्य करना।
- ग्रामीण ऋण संस्थाओं के लिए अनुपूरक निधिकरण हेतु उपलब्धक के रूप में कार्य करना।
- छोटे उद्योगों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, हस्तकारों तथा अन्य ग्रामीण शिल्पकारों और किसानों के लिए निवेश ऋण की व्यवस्था करना।
- बैंक कर्मियों को प्रशिक्षण, ऋण संस्थाओं का पुर्नस्थापना और अन्य संस्थाओं की स्थापना करके ऋण वितरण व्यवस्था सुधार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास उद्देश्यों के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना।
- क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों की कार्य-प्रणाली में समन्वय करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों और अन्य नीति-निर्धारक संस्थाओं से संपर्क बनाए रखना।
- नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का निरीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन करना।

कार्य: नाबार्ड के प्रमुख कार्य इस प्रकार है:

(i) यह राज्यीय सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उधार उपलब्ध कराता है।

(ii) यह राज्यीय सरकारों को दीर्घकालीन उधार देता है, ताकि वे सहकारी उधार समितियों की हिस्सा-पूंजी में योगदान करें।

(iii) इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि यह केंद्र एवं राज्यीय सरकारों, योजना आयोग और अन्य अखिल-भारतीय एवं राज्यीय स्तर के संस्थानों की उन क्रियाओं का समन्वय करे जो लघु स्तर, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारियों एंव विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में उद्योगों आदि के विकास से संबंधित है।

(iv) यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान को दीर्घकालीन उधार दे सकता है या कृषि एवं ग्राम विकास से संबंधित, किसी भी संस्थान की हिस्सा-पूंजी या प्रतिभूतियों में विनियोग में योगदान दे सकता है।

(v) समन्वित ग्राम विकास को प्रोन्नत करने के लिए नाबार्ड, छोटे उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्पों और ग्रामीण दस्तकारियों और संबंधित क्रियाओं के सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेची

रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेच दी है। नाबार्ड कृषि एंव ग्रामीण विकास के लिए कर्ज मुहैया कराता है। आरबीआई ने 13 अक्टूबर को नाबार्ड में अपनी रु. 1,450 करोड मूल्य की हिस्सेदारी बेच दी। इसके साथ ही नाबार्ड मे रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी घटकर करीब 1 प्रतिशत रह गई है।

इससे पहले आरबीआई के पास नाबार्ड की 72.5 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसका मूल्य रू. 1,450 करोड था। जबकि शेष रू. 550 करोड मूल्य की हिस्सेदारी सरकार के पास थी। नाबार्ड मे अब भारत सरकार की 99 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है।

उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में भी अपने पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेची थी। रिजर्व बैंक का यह कदम उस चर्चा के बीच उठाया गया है, जिसमें कहा जा रहा था, कि केंद्रीय बैंक को किसी कर्ज संस्थान में हिस्सेदारी रखनी चाहिये या फिर उसे केवल नियामक ही रहना चाहिए।

केंद्रीय कैबिनेट ने मई, 2008 में रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड में उसकी हिस्सेदारी सरकार की स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाला केवल एक संस्थान नेशनल हाउसिंग बैंक बचा है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India Ltd.)

इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना है। निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड रूपये की थी, जो 5,000 रूपये के अंशों में बढ़ी हुई थी। बाद में यह बढ़ाकर 20 करोड रूपये कर दी गयी। 1 जुलाई, 1993 से इस निगम की प्रकृति में परिवर्तन करके इसे एक कंपनी का रूप दे

दिया गया। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया जा चुका है। इसके द्वारा प्रदान दीर्घकालीन ऋण की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

उद्देश्य: सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना।

कार्य: इसके कार्य निम्नलिखित है:

(i) औद्योगिक संस्थाओं को अग्रिम ऋण उपलब्ध कराना।

(ii) अग्रिम ऋण की गारंटी देना

(iii) औद्योगिक फार्मों द्वारा जारी किये गये हिस्सों, ऋण पत्रों एवं बांडों की हामीदारी करना।

राज्यीय वित्त निगम (State Financial Corporation)

1951 के राज्यीय वित्त निगम अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में निगम स्थापित किये गये है। जिनका उद्देश्य छोटे, मध्यम तथा कुटीर उद्योगों की सहायता करना है। किसी राज्यीय वित्त निगम की अधिकृत पूंजी राज्यीय सरकार द्वारा 50 लाख और 5 करोड रूपये की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच निर्धारित की जाती है। निगम के हिस्से राज्यीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सरकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों अर्थात् बीमा कंपनियों और विनियोग न्यासों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाते है। राज्यीय वित्त निगम भी अपने वित्तीय साध न बढ़ाने के लिए बांडों तथा ऋणपत्रों का विक्रय कर सकता है।

कार्य: यह निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

- औद्योगिक फर्मो को 20 वर्षों तक के लिए देय ऋणों तथा पूंजी बाजार में जारी किये गये ऋणों की गारंटी करना
- औद्योगिक फर्मोके हिस्सों बांडों या ऋण-पत्रों का, निम्नांकन करना,
- औद्योगिक फमों की स्वीकृति प्रदान करना, और
- औद्यागिक फमों द्वारा जारी किय गये ऋण-पत्रों को क्रय करना।

राज्यीय वित्त निगमों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से छोटी तथा लघु स्तर को औद्योगिक इकाइयों के लिए प्राप्त सहायता के वितरण का कार्य भी सौपा गया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम

(Industrial Cradit and Investment Corporation of India-ICICI)

इसकी स्थापना 1955 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। इस निगम के वित्तीय स्रोत है: अंश पूंजी, संचित कोष, भारत सरकार के ऋण, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण एवं विदेशी मुद्राओं में ऋण। इस निगम के प्रमुख उद्देश्य है।

- औद्योगिक उद्यमों की स्थापना, विस्तार और उनके आधुनिकीकरण में सहायता करना,
- ऐसे उद्यमों में देशी और विदेशी दोनों प्रकार की निजी पूंजी की भागीदारी को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना,
- औद्योगिक विकास से बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना,
- पूंजी बाजार के विकास में सहायता देना एवं
- औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन और सहायता देना।

कार्य : इसके कार्य निम्नलिखित है :• निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों में अंशों और ऋणपत्रों का अभिदान करना,

- तकनीकी प्रबंधीय व प्रशासनिक परामर्श देना एवं ऋणों की गारंटी देना,
- औद्योगिक संस्थाओं को मध्यावधि और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(Industrial Development Bank of India I.D.B.I.)

इसकी स्थापना 1964 में की गयी। यह औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंकों की श्रृंखला में अंतिम स्थापित बैंक हैं इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह कि उद्योगों की स्थापना तथा विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना। इस बैंक के वित्तीय स्रोत है-अंश पूंजी, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक से ऋण, बांडों तथा ऋण पत्रों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा में ऋण तथा अनुदान एवं सहायता।

कार्य : इसके कार्य निम्नलिखित है।

- सभी प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण देना,
- औद्योगिक उपक्रमों में स्थगित भुगतानों अथवा उनके द्वारा पूंजी बाजार के लिए जाने वाले ऋण की गारंटी देना,
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों, बांडों तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन करना,
- अनुसूचित बैंको तथा राज्य सरकारी बैंको द्वारा उसे 10 वर्ष के लिए दिये गये ऋणों के पुनर्वित का कार्य।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(Small Industries Development Bank of India SIDBI)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अप्रैल 1990 में संसद द्वारा पारित अधिनिमय के अधीन भारत सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास के स्वामित्वर्धन अनुषंगी के रूप में स्थापित किया गया। इस बैंक की अधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपये हैं जिसे 2,000 करोंड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों की स्थापना तथा

विकास की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना।

कार्य : इसके कार्य निम्नलिखित है :

- औद्योगिक उपक्रमों के स्थगित भुगतानों अथवा उनके द्वारा पूंजी बाजार के लिए जाने वाले ऋण की गारंटी देना।
- सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण देना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों, बांडों तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन करना एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों को खरीदना।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(The Export Import Bank of India)

इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1982 को भारत के विदेश व्यापार को वित्त सुविधायें और प्रोत्साहन देने के लिए की गयी। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है:

- न केवल भारत अपितु तृतीय विश्व के देशों के लिए भी इन वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबंध करना,
- विदेशों में साझे, उद्यमों के लिए वित्त प्रबंध,
- भारतीय पार्टियों को उधार उपलब्ध कराना ताकि वे विदेशों में साझे उद्यमों की हिस्सा-पूंजी में योगदान दे सकें,
- सीमित रूप में व्यापारिक बैंकिंग के कार्यों को करना।

प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की स्थापना वर्ष

संस्थान	स्थापना
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1 अप्रैल, 1935
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1948
भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम	जनवरी 1955
भारतीय स्टेट बैंक	1 जुलाई, 1955
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	जुलाई 1964
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	12 जुलाई, 1982
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	20 मार्च, 1985
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी)	1990
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	1 जनवरी, 1982
राष्ट्रीय आवास बैंक	जुलाई 1988
भारतीय जीवन बीमा निगम	सितंबर 1956
भारतीय साधारण बीमा निगम	नवंबर 1972
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारम्भ	2 अक्टूबर, 1975
गृह विकास वित्त निगम लि.	1977

राष्ट्रीय आवास बैंक
(National Housing Bank)

यह देश में आवास वित्त की अग्रणी संस्था है। इसके जुलाई, 1988 से कार्य प्रारंभ किया। इसके प्रमुख कार्य है:

(i) सार्वजनिक एजेंसियों को भूमि विकास एवं बसेरा परियोजनाओं, मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं के लिए सीधे वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना।

(ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं जैसी पात्र प्राथमिक कर्जदाताओं संस्थाओं को पुनर्वित की सुविधा प्रदान करना।

विदेशों में भारतीय बैंक

वर्ष 2010 तक 52 देशों में भारतीय बैंक कार्य कर रहे हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 16 तथा निजी क्षेत्र के 6 बैंक शामिल है। विदेशों में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, केनरा बैंक, बैंक आफ

इंडिया, इण्डियन ओरसीज बैंक, इण्डियन बैंक, सिण्डीकेट बैंक तथा यूको बैंक। ब्रिटेन में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक 18 शाखाएं मौजूद हैं। विदेश में सर्वाधिक 59 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की कार्यरत है। 58 शाखाओं के साथ बैंक आफ बड़ौदा दूसरे पापदान पर है।

भारत में विदेशी बैंक

भारत सरकार द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार अगस्त 2011 तक 38 विदेशी बैंक भारत में कार्यरत थे। देश में इनकी कुल शाखाएं 321 है। ब्रिटेन के स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं है। विश्व व्यापर संगठन के साथ हुए समझौते मुताबिक रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष विदेशी बैंकों की न्यूनतम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमति देता है। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी विदेशी बैंक को भारत में अपनी प्रथम शाखा खोलते समय मात्र 10 मिलियन डालर की पूंजी लानी होती है। दूसरी और तीसरी शाखा के लिये क्रमशः 10 मिलियन तथा 5 मिलियन डालर लाने होते हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक

वर्तमान में भारत में निजी क्षेत्र के 22 बैंक कार्यरत है। नये प्रावधान के अनुसार देश में नया निजी बैंक की स्थापना के लिये न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक है। निजी नये बैंक में प्रथम 5 वर्षों तक विदेशी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। नये निजी बैंक सिर्फ पूर्ण स्वामित्व की गैर संचालित होल्डिंक कम्पनी (NOHC) द्वारा स्थापित किये जा सकते है। ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम 5 वर्ष तक सम्बन्धित बैंक की कम सेकम 40 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी अपने पास रखनी होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं के विस्तार तथा आम आदमी को रियायती दर पर ऋण आदि उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 1975 को देश में 5 ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी। ये ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं मुरादाबाद राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में भिवानी तथा पश्चिम बंगाल में मालदा। इस प्रयोग के सफलता के बाद देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तेजी से स्थापना हुई। वर्तमान में सिक्किम एवं गोवा के अतिरिक्त देश के सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है।

प्रत्येक ग्रामीण बैंक का एक प्रयोजन (Sponsor) बैंक होता है जो मैन पावर एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित सहयोग एवं नियंत्रण करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी में केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक का 50:15:35 हिस्सा होता है।

सहकारी बैंक

देश के मध्यम एवं निम्न आय वर्ग से जुड़े लोगों को बैंकिग व्यवस्था का लाभ पहुंचाने एवं उन्हें इससे जुड़ने के लिए सहकारी ऋण प्रणाली की शुरूआत की गयी है। इस व्यवस्था की शुरूआत 1904 में सहकारी साख अधिनियम से हुई। शुरू में सहकारी बैंक सिर्फ कृषि ऋण से सम्बन्धित रहे किन्तु आगे चलकर इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। सहकारी बैंकों का ढांचा तीन वर्गों में विभक्त है।

- राज्य सहकारी बैंक
- जिला सहाकरी बैंक
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स)

सहाकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1992-93 में नाबार्ड ने सहकारिता विकास निधि की स्थापना की। इस निधि से सहकारी बैंकों को अनुदान अथवा ऋण उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारित सहकारी साख आन्दोलन कई स्थानों पर शहरी क्षेत्र भी विस्तार लेते दिखाई दे रहे हैं जिसका परिणाम है शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना।

अग्रणी बैंक (LEAD BANK)

बैंकों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नरीमन समिति के सुझाव पर 1969 में लीड बैंकों की स्थापना शुरू हुई इस योजना के तहत देश के सभी जिलों में प्रमुख अनुसूचित बैंकों को जिम्मेदारी निर्धारित की गयी और प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया गया। प्रत्येक लीड बैंक पर उसके आवंटित जिले में बैंकिग विकास की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। लीड बैंक का मुख्य कार्य बैंकों और विकास सम्बन्धी एजेंसियों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना है। लीड बैंक के मुख्य कार्य है।

1. साधनों का सर्वेक्षण एवं बैंकिग विकास की संभावनाओं का पता लगाना।
2. कृषि उपज एवं व्यवसायिक उत्पादन के लिए मार्केटिंग की सुविधायें व कृषि उपज के संसाधन की सुविधायें ज्ञात करना।

माइक्रो फाइनेन्स (MICRO FINANCE)

देश में बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होने के बावजूद तमाम गांवों में अभी भी बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस हकीकत को स्वीकार करते हुए देश में सूक्ष्म ऋण व्यवस्था अथवा माइक्रो फायनेन्स की जरूरत हुई। इस तरह के ऋण स्वयं सहायता समूह और लघू वित्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते है। विश्व स्तर पर माइक्रो फायनेन्स के जनक बांग्लादेश अर्थशास्त्री मो. यूनूस को

माना जाता है। जिन्हें 2006 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया।

भारत में स्वयं सहायता समूह-बैंक सम्पर्क नाबार्ड की पहल पर 1986 में अस्तित्व में आया। देश का प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान (माइक्रो फायनेन्स) 1996 में स्थापित बेसिक्स था।

भारत में माइक्रो फायनेन्स की स्थिति उम्मीद और अनुमान के अनुसार अभी तक सामने नहीं आ सकी है। सूक्ष्म वित्त अथवा माइक्रो फायनेन्स वित्तीय सुविधायें छोटे ऋण उपलब्ध कराना है। किन्तु व्यापक लेबल पर यह अभी तक धरातल पर उत्तर नहीं सका है। भारत में सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थायें है।

- एसकेएस माइक्रको फायनेन्स लिमिटेड
- स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड
- अस्मिता माइक्रोफिन लिमिटेड
- श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डवलपमेंट प्रोजेक्ट
- भारतीय समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
- बंधन सोसाइटी
- कैशपर माइक्रो क्रेडिट
- ग्राम विद्यालय माइकों फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
- ग्रामीण फाइनेंसियल प्राइवेट लिमिटेड

माइक्रो फायनेन्स पर मालेगाम समिति की रिपोर्ट

माइक्रों फायनेन्स से सम्बन्धित संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार तथा उससे सम्बन्धित विवादों पर विचार करने के लिए अक्टूबर 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जनवरी 2011 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मालेगाम समिति ने ऊंची ब्याज दर वसूलने वाली माइक्रो फायनेन्स कम्पनियों पर नियंत्रण लगाने की सिफारिश की है। समिति ने इस तरह के ऋण पर ब्याज दर को अधिकतम 24 प्रतिशत तक रखने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगतं कर्जों की अधिकतम सीमा 25000 तक रखने तथा माइक्रों फायनेन्स कम्पनियों के लिये गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की एक अलग श्रेणी बनाने की भी सिफारिश की है। समिति ने यह कहा है कि माइक्रो फायनेन्स कम्पनियों को ब्याज दर के अतिरिक्त सिर्फ दो तरह के शुल्क ही ग्राहकों से लेने की अनुमति मिलनी चाहिये, जो है। प्रोसेसिंग फीस तथा बीमा शुल्क। माइक्रो फायनेन्स कम्पनियों को न्यूनतम 75 प्रतिशत ऋण कारोबार व आय आदि बढ़ाने के मद में देने चाहिये। कर्ज लेने वाला ग्राहक सिर्फ एक स्वयं सहायता समूह या ज्वाइन्ट लाइबिल्टी समूह होना चाहिये। इस तरह का व्यक्ति अधिकतम दो माइक्रो फायनेन्स से ऋण ले सकता हे।

बैंकिंग सुधार से सम्बन्धित समितियां

1. **नरसिंहम समिति (1991 और 1998) :** भारतीय अर्थव्यवस्था में आये आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम की अध्यक्षता में जून, 1991 में नरसिंहम समिति (Narasimham Committee) का गठन किया। इसे बैंकिंग क्षेत्रीय सुधार समिति का नाम भी दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति की लगभग सभी संस्तुतियों को बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से लागू किया जा चुका है। आगे चलकर एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में बैंकिंग सुधार के लिए द्वितीय समिति गठित की गयी, जिसने 23 अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा को सौंप दी। अपनी रिपोर्ट में नरसिंहम कमेटी ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) में बढ़ोत्तरी करने, गैर निस्पादन परिसम्पत्तियों (NPAS) में कमी करने के साथ ही बैंकों की खराब परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये एक सम्पत्ति पुनर्निर्माण कोष Asset Reconstruction Fund) की स्थापना की सिफारिश की। समिति ने कमजोर बैंकों के लिए सीमित व्यवसाय (Narrow Banking) के तरीके अपनाने की सलाह, दी किन्तु यह भी कहा कि यह प्रशास सफल होने पर उसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए तिस्तरीय बैंकिंग ढांचा खड़ा करने का सुझाव दिया-दो से तीन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, आठ से दस राष्ट्रीय स्तर के बैंक तथा शेष स्थानीय बैंक। नरसिंहम समिति ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को राजनीति और इससे प्रेरित योजनाओं से पूरी तरह मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकों पर भार कम करने के लिए कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए। बैंकों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण कर ग्राहक सेवा सुधारने तथा त्वरित कार्य व समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

2. **गोइपोरिया समिति (GOIPORIA COMMITTEE) :** बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Omudsman Scheme) की शुरुआत 15 जून, 1995 में की गयी।

गोइपोरिया समिति ने बैंकों में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिशों को प्रस्तुत किया

- बैंक जमा राशियों पर कर लाभ देने तथा बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर में वृद्धि करने का सुझाव।
- गांवों में सक्रियता बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना और ऐसा न करने का सुझाव।
- गांवों में सक्रियता बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कठोर निर्णय लेने की सिफारिश।
- नकद भुगतान कार्य को छोड़ अन्य कार्यों के लिए बैंकिंग सेवा घण्टों में वृद्धि की जानी चाहिये
- कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के उपाय करने तथा कार्य के प्रति उनके उदासीनता पूर्ण दृष्टिकोण में सुधार के लिये कठोर कदम उठाने के प्रयास होने चाहिये।
- बैंकों में कम्प्यूटर में तेजी अपनाकर आधुनिकीकरण प्रक्रिया को व्यापक बनाने की सिफारिश।
- विशेष ग्राहक समूहों के लिए विशिष्ट शाखायें खोलने का सुझाव।
- चालू खाते में 5000 रुपया तक के बाहरी केन्द्र चेक जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव।

3. वर्मा समिति (Verma Committee)

सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों में सुधार के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष एम.एम.वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसने 4 अक्टूबर 1999 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने अपेक्षाकृत कमजोर बैंकों (इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) के पुनर्गठन एवं पुनर्सरचना के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाये। समिति ने कमजोर बैंकों को पुनर्जिवित करने के लिए लागत में कमी करने के साथ ही बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के उपायों पर बल दिया। कमजोर बैंकों के 50 लाख रुपये तक की गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों को सम्पत्ति पुनर्निर्माण कोष (Asset Reconstructions Found) के नाम हस्तान्तरित किये जाने का सुझाव।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार हेतु गठित समितियां

गठन	समितियां	सम्बन्धित क्षेत्र
1991	गोइपोरिया समिति	ग्राहक सेवा में सुधार।
1991	नरसिम्हम समिति (प्रथम)	बैंकिंग आर्थिक सुधार।
1993	घोष समिति	बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उपाय।
1993	नायक समिति	लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋणउपलब्ध कराना।
1995	पद्मनाभम समिति	बैंकों का पर्यवेक्षक निर्धारण।
1997	तारापोर समिति	विदेशी विनियम में पूंजी खाता परिवर्तनीयता।
1998	आर.वी. गुप्ता समिति	कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार।
1998	नरसिम्हम समिति (द्वितीय)	बैंकिंग के कोरम।
1998	कपूर समिति	लघु एवं मध्यम उद्योगों में सुधार।
1998	खान समिति	यूनिवर्सल बैंकिंग के कोरम।
1999	वर्मा समिति	कमजोर बैंकों की समस्यायें और उपाय।
2001	रेड्डी समिति	छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार।
2001	कोहली समिति	विलफुल डिफाल्टर की परिभाषा और बीमार लघु व मध्यम उद्योगों का पुनर्स्थापन।
2001	खन्न समिति	गैर-निष्पादक आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन।
2006	बेसल समिति	पूंजी पर्याप्तता अनुपात।

4. दामोदर समिति (Damodarn Committee) :

बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पूर्व अध्यक्ष एम. दामोदरन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने अपने सुझाव में बचत खातों में चेकबुक व एटीएम कार्ड आदि सुविधाओं के लिए न्यूनतम शेष की शर्त खत्म करने का सुझाव दिया। न्यूनतम शेष की अवस्था में बैंको द्वारा लिया जाने वाला दण्डात्मक शुल्क आनुपातिक रूप

से कम करने के साथ ही सावधि जमा को सम्बन्धित खातेदार के आग्रह के वगैर रिन्यू न करने का समिति ने सुझाव दिया। समिति ने सुझाव दिये कि गृह ऋण के चुकता हो जाने के बाद सम्बन्धिता ग्राहक को 15 दिनों के भीतर सम्पत्ति संबंधी समस्त कागजात सौंप दिये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए सभी बैंकों को सम्मिलिति रूप से एक काल सेन्टर नम्बर शुरू करना चाहिए।

बैंकिंग लोकपाल योजना

(Banking Ombudsman Scheme)

भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून, 1995 से देश में इस योजना को शुरू किया है जिसमें बैंकों के ग्राहको की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी (Consumer Ombudsman) नियुक्त करने की व्यवस्था है। अब तक 15 अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है। इनकी नियुक्ति नयी दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, चण्डीगढ़ हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में की गयी है।

इस योजना में सभी अनुसूचित सहकारी बैंक तथा व्यावसायिक बैंक सम्मिलित है। किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

बेसल-III

अन्तर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक (Bank for internationalo Settements-BIS) : ने 1988 में स्विट्जरलैंड स्थित अपने बेसल मुख्यालय पर बैंकों के सफल संचालन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसे बेसल समिति अथवा बेसल संधि कहा जाता है। समिति ने 1988 में बेसल-I तथा 2009 में बेसल-II संधि लागू करने की घोषणा की। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की घोषणा के अनुसार समस्त भारतीय बैंकों में 31 मार्च 2009 तक बेसन-II के मानक पूरे कर लिये गये है। देश में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों तथा विदेश में शाखाएं रखने वाले भारतीय बैंकों में 31 मार्च 2008 तक बेसल-II की शर्तें लागू हो जानी थी। ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं विदेशी में नहीं है। उनके लिए यह समय सीमा 31 मार्च 2009 तय की गयी थी।

बेसन समिति की नयी घोषणा के अनुसार अब समस्त बैंकों में बेसल-III के मानदण्ड लागू किये जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2012 को नया वैश्विक पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ration-CAR) से संबंधित बेसल के दिशा-निर्देश बैंकों को जारी कर दिये। इन निर्देशों का 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च 2018 तक क्रियान्वयन किया जाना है।

- नये निर्देशों के मुताबिक बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत (पूर्ण जोखिम भारांश संपदा की न्यूनतम कुल पूंजी) बनाए रखना है जो कि पहले 8 प्रतिशत रखना था। इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन नम्बर बफर 2.50 प्रशित का रखना होगा।
- कैपिटल बफर का मतलब यह है कि वर्ष 2008 की मन्दी जैसे संकट से बचने के लिए बैंकों को 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अलावा 2.50 प्रतिशत की बफर राशि सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यदि बैंक इसे रखने में असफल होते है। तो वे बोनस वितरित नहीं कर सकते।
- बेसल-3 के निर्देशों के अनुसार बैंक को 1.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त रखना होगा, ताकि वित्तीय समस्याओं से बचा जा सके और निवेशकों के हितों की सुरक्षा हो सके। पीएसयू बैंकों के लिए इस अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पीएसयू बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 58 फीसदी तक करने की योजना बनाई है। जिससे इस अतिरिक्त पूंजी का इंतजाम हो सकता है।
- बेसल नियम का मकसद बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है। आरबीआई द्वारा बेसल-3 के निर्देशों के बाद बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी जुटाने का दबाव देखा जा सकता है, पीएसयू बैंकों पर इसका ज्यादा असर पड़ने का अनुमान है।
- बेसल-3 से बैंकिंग सेक्टर में मॉर्जिन में बढ़त की उम्मीद है, वहीं इससे निजी बैंकों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण व सहकारी बैंकों को 'ऑनलाइन फण्ड ट्रांसफर' सुविधा

धनराशियों ऑनलाइन ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैकों को भी अब केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों में भाग लेने की अनुमति 9 अप्रैल, 2012 को प्रदान कर दी। इससे ये बैंक भी अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) व नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फण्ड ट्रांसफर (NEFT) के माध्यम से धनराशियों को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रसंफर कर सकेंगे।

चेक-ड्राफ्ट की वैधता केवल तीन महीने

भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मार्च, 2012 को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ड्राफ्ट, चेक, पे-आर्डर या बैंकर्स चेक 1 अप्रैल, 2012 से केवल तीन महीने के लिए ही वैध होंगे। इससे आर्थिक क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाया जा सकता है।

एक्सिस बैंक का बहरीन के बैंक से समझौता

एक्सिस बैंक ने 28 मई, 2012 के बहरीन के अहली

यूनाइटेड बैंक बीएससी के साथ गठबन्धन हेतु एक समझौता किया जिसके तहत बहरीन से किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में धन भेजना सरल हो जायेगां बैंक के उपभोक्ताओं के अलावा देश भर में 100 से अधिक अन्य बैंकों की 83000 से अधिक एनईएफटी-सक्षम शाखाओं उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे।

स्टेट बैंक को सरकारी सहायता

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में प्रिफरेंशियल अर्थात् तरजीही शेयर के बदले 7900 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की घोषणा की हैं इससे देश के सबसे बड़े बैंक को कारोबार में विस्तार मिलेगा इस पूंजी से स्टेट बैंक का चुकता शेयर पूंजी बढ़ जायेगा। सरकार की तरफ से यह पूंजी मिलने के बाद बैंक में मरकार भी भागीदारी बढकर 65 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी।

पाकिस्तानी बैंक भारत में

पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक ने अपने दो बैंकों को भारत में शाखा खोलने की अनुमति दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के गवर्नर यासिन अनवर ने 3 अगस्त 2012 को बताया कि नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को भारत में परिचालन की अनुमति प्रदान की है।

अब बैंक बदलिए बिना खाता नम्बर बदले

अब मोबाइल नंबर की तरह आपका बैंक खात नंबर स्थायी हो जायेगा और बैंक ग्राहक किसी भी बैंक में अपना अकाउंट उसी नंबर के साथ ट्रांसफर कर सकेगा। सरकार बैंक खाता नंबर पोर्टेबिलिटी पर विचार कर रही है।

इसके पीछे मकसद यह है कि हर बार ग्राहकों को नए नंबर मिलने की जहमत से छुटकारा मिले। कई लोग अपने बैंक को इसलिए छोड़ देते है। कि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। लेकिन जब वह दूसरे बैंक में जाते है। तो उन्हें नया नम्बर मिल जाता है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। बैंक खातों के नंबर इन दिनों 13-14 अंकों के होते हे। और उन्हें याद रखना टेढ़ी खीर है। इसलिये सरकार चाहती है कि खाता नंबर वही रहे। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गयी है जो इस पर अपनी राय देगी।

भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारा

- भारत में मुद्रा पूर्ति की चार अवधारणायें प्रचलित हैं

M_1, M_2, M_3, और M_4। इसमें से M_3 को व्यापक मुद्रा तथा M_1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है।

(i) M_1 = जनता के पास मुद्रा (करेंसी (संकीर्ण मुद्रा) नोट व सिक्के) +बैंकों की मांग जमा + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं

(ii) M_2 = M^1 + डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं

(iii) M_3 = M1 + बैंको की सावधि (व्यापक मुद्रा) जमाएं

(iv) M_4 = M3 + डाकघरों की समस्त जमाएं

भारतीय वित्तीय प्रणाली

(Indian Financial System)

भारतीय वित्तीय प्रणाली दो दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. भारतीय मुद्रा बाजार, और
2. भारतीय पूंजी बाजार

मुद्रा बाजार के अन्तर्गत अल्पकालीन स्वभाव की मौद्रिक सम्पत्तियों या प्रतिभूतियों का सामान्यतया एक वर्ष से कम अवधि का लेन-देन होता है, जबकि पूंजी बाजार मध्यम ताकि दीर्घकालीन फण्ड बाजार है जहां लम्बी अवधि की आवश्यकताओं के लिए उधार लिये जाते हैं।

- भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है-संगठित और असंगठित। संगठित मुद्रा बाजार के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक आदि आते है। असंगठित मुद्रा बाजार के अन्तर्गत देशी बैंकर्स, ग्रामीण साहूकार, महाजन आदि आते है।
- मुद्रा बजार छोटे-छोटे उप-बाजारों में बंटा होता है, जिसमें प्रत्येक उप-बाजार एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति का उप-बाजार होता है। ये उप-बाजार निम्नलिखित है।

1. **कॉल मानी मार्केट (Call Money Market) :** अत्यल्प अवधि में ऋणों के लेन-देन को कॉल मनी मार्केट कहते है। इस मुद्रा बाजार में ऋण लेने के लिए किसी प्रतिभूमि की आवश्यकता नहीं होती है।
2. **ट्रेजरी बिल बाजार :** ट्रेजरी बिल दो तरह के होते है-तदर्थ तथा सामान्य। तदर्थ ट्रेजरी बिलों की बिक्री केवल राज्य सरकारें, अर्द्ध शासकीय विभाग तथा विदेशों के केन्द्रीय बैंकों को ही की जाती है। जबकि सामान्य ट्रेजरी बिल किसी को भी बेचा जा सकता है। ट्रेजरी बिल सरकार के लिए अल्प अवधि के ऋण के साधन होते है।
3. **वाणिज्यिक प्रपत्र (Commercial Paper) :** भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों के चलन की अनुमति 27 मार्च, 1989 से प्रदान की गयी। ये प्रपत्र एक प्रकार के प्रॉमिसरी नोट है, जिसकी परिपक्वता 7 से 90 दिन के बीच होती है।
4. **जमा प्रमाण-पत्र बाजार (Certigicate of Deposit Matket)**

: जमा प्रमाण-पत्रों का प्रचलन 1989 से हुआ है। ये प्रमाण-पत्र प्रारम्भ में 25 लाख के गुणक में कम से कम 1 करोड़ की राशि के लिए जारी किये जाते थे। लेकिन नई मुद्रा नीति के तहत जमा प्रमाण-पत्र 1 लाख रुपये गुणक में से कम से कम 5 लाख रुपये की राशि के लिए जारी किये जा सकते हैं 1993 से पहले इन प्रमाण-पत्रों को केवल व्यापारिक बैंक ही जारी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद से (IDBI, ICICI, IRBI, IFCI, SIDBI, EXIM बैंक भी जारी कर सकते है।

5. **पुनर्क्रय विकल्प (रेपो) (Repurchase Options : REPO)** : पुनर्क्रय विकल्प या रेपों खुले बाजार की एक ऐसी क्रिया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों को इस शर्त के साथ बेचा जाता है। कि एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित मूल्य पर उन्हें खरीद लिया जाये। रिजर्व बैंक जब प्रतिभूतियों को बेचता है तो उसे सामन्य रेपों कहते है। और जब वह प्रतिभूतियों को खरीदता है तो उसे रिवर्स या उल्टा रेपो कहते है।

2013 में रिवर्स रेपो	:	6.25%
2013 में रेपो	:	7.25%
वैकदर	:	10.25%

बैंको का स्वास्थ्य व उनकी रूग्णता

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंक में ऋण वसूली की प्रवृत्ति घटिया बनती चली गयी इसी समस्या से निजात पाने के लिये RBI ने 1985 में निकृष्टतम घोषित किये गये।

नरसिंहम समिति ने मूलधन ऋणों की वसूली तथा उस पर मिलने वाले ब्याज की प्राप्तता के आधार पर बैंक परिसंपतियों को दो भागों में बांटा

1. मानक संपत्तियां (निष्पादित संपत्तियां) Standasd Assets
2. गैर मानक संपतियां (गैर-निष्पादित संपत्तियां) (Non performing Assets)

नरसिंहम समिति ने आगे गैर मानक अथवा गैर निष्पादित संपति को तीन वर्गों में बांटा

1. उप मानक या उप गैर-निष्पादित संपत्तियां Sub standard assets.
2. दुविधापूर्ण परिसंपतियां (Doubtful assets)
3. जोखिमप्रद/हानिप्रद परिसंपत्तियां (Loss assets)

RBI के वर्तमान नियमानुसार यदि किसी भी ऋण पर देय ब्याज देय तिथि से 180 दिन आगे तक (जो पहले 30 दिन था) अथवा जिसका मूलधन देय तिथि से 365 दिनों तक न चुकाया गया हो उसे गैर निष्पादित संपत्तियां कहेंगे। यही गैर मानक संपत्ति भी है।

भारत में मानक संपत्तियां उसे कहा जाता है जहां ऋण सुविधाओं के बदले मूलधन और ब्याज निश्चित देय तिथि पर भुगतान कर दिया गया।

उपमानक परिसंपत्तियां वह है जो गैर मानक संपत्तियों के रूप में तो हों किन्तु उनकी समयावधि 2 वर्ष से अधिक न हुई हो।

दुविधापूर्ण परिसंपत्तियां वस्तुत बीमार औधोगिक प्रष्ठिानों से सम्बंध रखती है जिनकी वसूली लगभग संदिग्ध हो। हानिप्रद परिसंपत्तियां वे हैं जिन्हे RBI ने चिन्हित तो कर लिया हो परन्तु इस राशि को बैंक के खाते से पूर्णत: या अंशत: निकाला न गया हो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली सर्वथा संदिग्ध होगी इसे अप्राप्य या असंग्राही संपत्ति भी कहा जाता है।

जोखिमप्रद या हानिप्रद संपत्तियों के गणना के लिये बैंकों की प्रत्येक परिसंपति को कुछ अधिमान (भार) दिया जाता है जो शून्य से एक के बीच बदलता रहता है। यहां पर प्रत्येक परिसंपत्ति को उसके जोखिम पदभार से गुणा कर दिया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त प्रतिफलों को एक साथ जोड़ देने से कुल जोखिम प्रद परिसंपत्तियों का भाग निकल आता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital adequacy ratio) वस्तुत: यह जोखिम प्रद परिसंपत्तियो से पूंजी का अनुपात बताता है इसे ज्ञात करने का सूत्र अद्योलिखित है:

Capital to risk waighted asset ratio = CRAR

संकीर्ण बैंक : वे बैंक जो अपने कोषों को केवल अल्पकालिक जोखिम रहित परिसंपत्तियों में लगाते हैं सकीर्ण बैंक कहलाते हैं इस कोटि में ऐसे बैंक भी आते हैं जिनकी मांग जमाएं सुरक्षित, तरल परिसंपत्तियों के बराबर हो कुल मामलों में इन बैंको की जमाओं तथा भुगतान पर बीमा की व्यवस्था रहती है। ऐसे बैंक अपने असफल होने के जोखिमं के कम करके चलते है परिणाम स्वरूप जमाकर्त्ताओं के हित भी सुरक्षित बने रहते हैं इस प्रकार के बैंक जमा पर बीमा योजना अन्य सुरक्षा कवच आदि धारण किये होते हैं जहां तक कि ये बैंक निगरानी प्रणाली से भी मुक्त होते हैं।

नरसिंहम समिति ने अनुशंसा की है कि भारत में दुर्बल बैंकों की पुर्नस्थापना के लिये Narrow Bank प्रणाली अपनायी जानी चाहिये। तारापोर समिति ने भी दुर्बल बैंको को Narrow Bank के रूप में परिवर्तित करने की अनुशंसा की है।

दुर्बल बैंको के संबध में वर्मा समिति को सिफारिशें : RBI द्वारा SBI के पूर्व अध्यक्ष श्री एंम.एस. वर्मा की अध्यक्षता में दुर्बल बैंको से संबधित एक समिति का गठन किया था जिसके अधोलिखित विचारणीय बिन्दु है:

1. दुर्बल बैंको की पहचान के लिये मानको का निर्धारण।

2. ऐसे दुर्बल बैंकों का अध्ययन और उनकी समस्याओं की जांच।
3. इनके चिन्हन के लिये बैंक दर बैंक अध्ययन तथा पुर्नस्थापित किये जाने योग्य बैंको का पता लगाना।
4. ऐसे बैंको के लिये वित्तीय संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रणनीति सुझांव।

वर्मा समिति ने बैंको के मूल्यांकन के लिये सात मानक सुनिश्चित किये :

1. पूंजी पर्याप्तत्ता,
2. विस्तार अनुपात,
3. परिसंपत्तियों पर प्रतिफल,
4. क्रियाशील पूंजी से लाभ का अनुपात,
5. लागत तथा आय का अनुपात,
6. निबल ब्याज तथा अन्य समस्त आय से कर्मचारियां की लागत का अनुपात)
7. निबल ब्याज मार्जिन।

जो बैंक इन मानको पर निर्धारित स्तर प्राप्त करने में असफल रहे उन्हें दुर्बल बैंक माना गया। यहां पर विस्तार अनुपात से तात्पर्य यह है कि जब किसी बैंक की कुल परिसंपत्तियों की तुलना में उसकी अपनी पूंजी ऋणगत हानियों की व्यवस्था सहित व्यय से, गैर निष्पादित संपत्तियां घटाने पर 0.5% से ज्यादा शेष बचता है।

उपरोक्त मानकों के धरातल पर वर्मा समिति ने तीन बैंकों को दुर्बलतम श्रेणी में माना।

(i) इंडियन बैंक
(ii) यूनाईटेड बैंक आंफ इंडिया
(iii) यूको बैंक।

समिति ने 5 महत्वपूर्ण संस्तुतियां जारी की है।

(i) बैंको के NPA's का बोझ कम करने के लिये एक ARE (Asset reconstruction fund) की स्थापना।
(ii) बैंको के कर्मचारियों की संख्या में 25% की कटौती करना जिसके लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) Golden Hand shake' लागू की जाये। 5 वर्षों के लिये वेतन वृद्धि पर रोक लगे।
(iii) बैंकों के निदेशक मंडल स्तर तथा शीर्षस्थ प्रबन्धन स्तर पर एक उत्तरदायी तथा प्रभावशाली संचालन का मांडल स्थापित किया जाये।
(iv) प्रत्येक बैंक के प्रमुख क्रियाकलापों का पुनरावलोकन करना तथा उसमें परिवर्तन करना मुख्यत: तकनीक, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा।
(v) एक वित्तीय पुनर्गठन तथा यदि आगे और दुर्बल होते हैं तो बैंक के पुर्नगठन की प्रक्रिया की निगरानी का अधिकार प्राप्त हो।

कुछ तथ्य :

- वर्मा समिति ने दो या दो से अधिक शाखाओं को मिलाकर एक करने का प्रबन्ध किया है।
- विदेशी शाखाओं की बिक्री बन्द करने की कड़ी सिफारिश की गयी है।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दुर्बल बैंको को प्राथमिकता के क्षेत्रों में ऋण देने की छूट मिलनी चाहिये।
- समिति ने कुशलता के हस्तानान्तरण हेतु कानून को सरल बनाने की सिफारिश की है। ताकि बेहतर व्यवसायिक रणनीतियां या बेहतर विपणन का प्रयास हो सके।
- समिति ने बैंको के पुर्नगठन की प्रक्रिया को दो चरणों में लागू करने की बात कही है।
  (i) प्रथम चरण में संबधित ईकाईयों के क्रियात्मक संगठनात्मक तथा वित्तीय पुर्नगठन का कार्य किया जाना चाहिये जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धत्मकता को पुर्नस्थापित करना चाहिये।
  (ii) पुर्नगठन के द्वितीय चरण में जब बैंक स्वावलंबी हो जाये तथा निवेशकों को आकर्षित करने लगे तब इनके निजीकरण होने चाहिये।

समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में दुर्बल बैंको के पुर्नगठन के लिये निजीकरण एक विकल्प तो है किन्तु यह दीर्घकाल के लिये उचित है अत: निकट भविष्ट में निजीकरण उंचित नहीं रहेगा।

समिति ने उपरोक्त तीनों बैंको के बन्द किये जाने के विकल्प को अस्वीकार कर दिया संक्षेप में यह सकते हैं कि वर्मा समिति ने दुर्बल बैंको के निजीकरण तथा तालाबन्दी दोनों पर भी रोक लगा दिया।

बैंको में क्रेडिट रेटिंग व्यवस्था : (साख निर्धारण) किसी व्यक्ति, कंपनी अथवा देश द्वारा अपने दिये गये ऋणों को लौटाने की इच्छा व क्षमता का मूल्यांकन साख निर्धारण कहलाता है।

इस प्रकार का मूल्याकंन संबधित व्यक्ति, कंपनी अथवा देश की कुल संपत्तियां व देनदारियों जोखिमों तथा देय तिथि पर मूलधन तथा ब्याज लौटाने के विगत रिकार्ड संबधी सभी उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित होता है।

यदि किसी बैंक की क्रेडिट रेंटिग अच्छी हो तो वह सरलता से व सस्ती कीमत पर अधिक उधार प्राप्त कर सकती है। किन्तु यदि यह घटिया हो तो ऐसा संभव नहीं हो पायेगा।

साख निर्धारण की अवधारणा सर्वप्रथम जांन मूडी ने 1909 में USA में दिया।

मुद्रा बाजार पर बनी एन बाबुल समिति की रिपोर्ट ने भारत में सबसे पहले साख निर्धारण की अवधारणा पर बल दिया।

- साख निर्धारण किसी हानि के प्रति कोई गारंटी नहीं प्रदान

करती सिर्फ धन चुकाने संबधी जोखिमों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण का आधार पैदा करती है।

- यह साख निर्धारण प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बेचने की संस्तृतियां नहीं है ये केवल ऐसे निर्णयों के लिये एक सहायक उपकरण मात्र हैं कह सकते हैं कि प्राथमिक रूप से यह एक तरह की निवेशक सेवा है।
- क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य रूप से जोखिम तथा प्रतिफल के बीच संबध स्थापित करता है।
- यह एक ऐसा मापक प्रदान करता है जिससे कि किसी भी वित्तीय यंत्र के जोखिम को नापा जा सकता है।
- वर्तमान में निम्न ऋण यन्त्रों का भारत में रेटिंग अनिवार्य है

(i) 18 माह से अधिक की अवधि के लिये सार्वजनिक रूप से जारी किये जाने वाले डिबेन्चर/बाण्ड।

(ii) गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों द्वारा ली जाने वाली सावधि जमायें।

(iii) वाणिज्यिक पत्र (CP's)

(iv) भू-संपत्तियां संबंधी कंपनी (रियल इस्टेट कंपनी)

मुद्रा बाजार पर बाबुल समिति की संस्तुतियां के आधार पर भारत में 27 मार्च 1989 से वाणिज्यिक पत्रों की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी यह एक अल्पकालिक मौद्रिक यन्त्र है जो वचनबद्धता के आधार पर एक निश्चित परिपक्वता अवधि के लिये (7 दिन से (माह) तक होती है। अपने अंकित मूल्य पर कटौती के आधार पर जारी की जाती है। वाणिज्यिक पत्र जारी करनें वाले और स्वीकार करने वाले बैंक दोनों के लिये एक वचनबद्धता है ये पत्र उच्च कंपनियों द्वारा अपनी व्यवसायिक गति विधियों के पूरा करने हेतु कोष जुटाने के उद्देश्य से सीधे निवेशकों को जारी किये जाते हैं। भारत में वाणिज्यिक पत्रो को जारी किये जाने कर न्यूनतम आकार 1 करोड़ रू. तक है जो कि इसके पश्चात 25 लाख रू. या इसके गुणकों में जारी किया जा सकता है। इसका अधिकतम आकार जारी करने वाले की क्रियाशील पूंजी का 75% हो सकता है।

निदृष्ट पत्र : (Promissory Notes) : एक प्रपत्र जो उल्लिखित करता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक निदृष्ट भुगतान एक निदृष्ट तिथि को किया जायेगा। अनेक देशों में यह प्रपत्र व्यवस्था के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयोग किये जाते हैं।

साख निर्धारण अभिकरण (Credit rating) : एक फर्म जो कि व्यक्तियों, कंपनियों अथवा देशों की साखगत हैसियत का आंकलन करती है तथा उसके आधार पर प्राप्त परिणामों को इच्छुक व्यक्तियों को बेचती है साख निर्धारण अभिकरण कहलाती है।

यह एक ऐसी संस्था होती है जो सूचनाओं को एकत्र करने व उन्हें विश्लेषित करने में दक्ष होती है तथा यह अन्य लोगों को इन विश्लेषणों के आधार पर किये गये साख निर्धारण को उपलब्ध कराती है ऐसे अभिकरण है क्रासिल (Crisil) - Credit rating service of India ltd.

CRISIL : यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो 1987 में शुरू हुई। इसे UTI तथा ICICI ने मिलकर स्थापित किया है।

2. ICRA- (Investment infaemation & credit rating agency)
3. CARE- (Credit analysis and researeh ltd)
4. ONICRA-(Onida individual credit rating agency)
5. UTI Credit rating ltd.
6. Duff and phelps India ltd (1998)

NOTE : भारत में घरेलू और विदेशी दोनों मुद्राओं का निर्धारण लघु और दीर्घ काल दोनों के लिये किया जाता है।

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस USA तथा स्टैन्डर्ड एण्ड पूअर क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज USA ने भारत में परमाणु विस्फोट के बाद देश की साख कम कर दी थी।

डफ एवं फेल्फ तथा Fupich Investor sesvices, USA हे क्रेडिट रेटिंग कंपनियां है।

जापान बाण्ड रेटिंग इन्सटीट्यूट जापान की क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। ICBA UK की तथा कनाडियन बाण्ड रेटिंग सर्विस कनाडा की रेटिंग कंपनी है।

साख निर्धारण संकेतकः

संकेतक	अर्थ
AAA	सर्वोच्च सुरक्षा वाली कंपनी
AA	उच्च सुरक्षा
A	पर्याप्त सुरक्षा
BBB	सामान्य सुरक्षा
BB	अपर्याप्त सुरक्षा
B	उच्च जोखिम
C	अत्यधिक जोखिम
D	अतिशय जोखिम

बैंक रेंटिग व्यवस्था : एस पद्मनाभन समिति की अनुशंसा पर भारत में बैंको की रेंटिंग के लिये CAMELS मॉडल की अनुशंसा की गयी है। समिति की यह अनुशंसा है कि RBI द्वारा बैंको की निगरानी का कार्य बैंकों की वित्तीय मजबूती के आधार पर होना चाहिये अतः बैंको की रेटिंग भी जरूरी है इसके लिये उन्होंने जुलाई 1997 में Camels मांडल प्रस्तावित किया जिसके लिये उन्होंने 6 मानक तैयार किये और इन्हीं मानकों के आधार पर बैंको की क्रेडिट रेटिंग की जाती हैं।

जहां C = Capital Adequecy.

A = Asset Quality.

M = Management.

E = Earning.

L = Liquidity.

S = System and control.

इस रिपोर्ट के अनुसार इन 6 मानको में से प्रत्येक का आकलन 1-5 के पैमाने पर किया जायेगा इस प्रकार प्राप्त योग औसत से संबधित बैंकों को A से E तक की रेटिंग दी जायेगी।

NOTE : जिन बैंको की रेटिंग A होगी उन पर न्यूनतम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी।

जैसे-जैसे रेटिंग में कमी आयोगी पर्यवेक्षण की आवश्यकता बढ़ती जायेगी।

A से E तक के साख निर्धारकों का अधोलिखित अर्थ है।

(i) प्रत्येक दृष्टि तथा आधारभूत रूप से सुदृढ़।

(ii) आधारभूत रूप से सुद्धढ़ किन्तु अल्प दुर्बलताओं के साथ।

(iii) वित्तीय क्रियात्मक अथवा प्रबन्धकीय दुर्बलतायें जो पर्यवक्षण के लिये कारण उत्पन्न करती है।

(iv) गंभीर वित्तीय कियात्मक तथा प्रबन्धकीय दुर्बलतायें जो इसकी भावी व्यवहारिकता को क्षति पहुंचा सकती है।

(vi) अत्यधिक चिंताजनक आर्थिक दुर्बलतायें जो कि निकट भविष्य में इनके असफल होने की उच्च संभावना उत्पन्न करती है।

गैर बैंकिग वित्तीय संस्थाएं (NBFC's) : ऐसी कंपनियां जो बैंक का कार्य न करके सिर्फ वित्तीयन का कार्य करती हैं ये साधारण उधार यानि सीधे जनता को नहीं देती हैं। जैसे :

1. वह बैंक जो सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत चैक से जमा स्वीकार करता हो।
2. जो सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत उधार न देता हो।
3. डाकघर। (ये बचत बैंक तो है लेकिन सरकार को ही उधार देते हैं)

RBI एक्ट 1997 द्वारा गैर बैंकिग कंपनियों पर गठित शाह समिति एवं वासुदेव समिति की संस्तुतियां के आधार पर RBI को गैर बैंकिग वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु व्यापक अधिकार दिये गये हैं इस संशोधन कानून के अनुसार एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी एक ऐसी वित्तीय संस्था है अथवा एक गैर बैंकिग संस्था है जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी प्रबन्धन, स्कीम अथवा अन्य प्रकार से जमाऐं स्वीकार करना है। इस संशोधन के अनुसार

(i) कोई भी गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अपना व्यवसाय शुरू नही कर सकती।

(ii) कोई भी गैर बैंकिग वित्तीय संस्था तब तक अपना कार्य प्रारंभ नहीं रख सकती या जारी रख सकती जब तक कि उसके (NOR) शुद्ध व्यक्तिगत कोष कम से कम 25 लाख रू. न हों। NOF का अर्थ चुकता पूंजी अथवा स्वतंत्र मुक्त आरक्षित कोष के योग से है जो कि संचित हानियों तथा अन्य लंबित व्ययों को घटाने के बाद प्राप्त होता है।

बैंकिग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)

1998 से शुरू यह संस्था बैंकिग प्रणाली के प्रति जन शिकायतों के जांच का कार्य करती है।

भारत में वित्त व्यवस्था (Finance management in India)

किसी भी देश की मजबूत वित्तीय प्रणाली व प्रबन्धन अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। भारत जैसे विकासशील देश में तो यह विशिष्ट महत्व रखती है हमारा संविधान भी इस संदर्भ में अपनी अनुसूची व उपबधों आदि के धरातल पर सजग प्रहरी की भूमिका में है। स्वतन्त्रता के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिये नियोजन की रीति अपनायी गयी। एतद्अर्थ दो प्रकार के वित्त की संकल्पना की गयी: लोक वित्त निजी वित्त।

भारतीय पूंजी बाजार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. **प्राथमिक बाजार या गिल्ट एन्ड मार्केट (Primary Market or Guilt Edged Matket) :** गिल्ट एन्ड मार्केट में सरकारी और अर्द्धसरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसे उत्कृष्ट बाजार भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है।
2. **औद्योगिक प्रतिभूमि बाजार (Industrial Securities Matket) :** इसके अन्तर्गत पहले से स्थापित औद्योगिक इकाइयों या नयी स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के शेयरों, डिबेंचरों का क्रय-विक्रय किया जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)

रिवर्ज बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1935 में की गयी। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व केन्द्रीय बैंक की भूमिका इम्पीरियल बैक निभा रहा था। जिसकी स्थापना 1921 में की गयी थी। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है।

रिजर्व बैंक के कार्य

1. **नोट प्रचालन बैंक (Bank of Issue) :** रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिवर्ज बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक रुपये के नोटों और सिक्कों के देश भर में वितरण का कार्य करता है। 1959 तक नोटों को निगर्मन अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता था, जिसके अन्तर्गत नोट निगर्मन के

पीछे स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों का 40 प्रतिशत आनुपातिक कोष रखना अनिवार्य था। लेकिन 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूततम कोष प्रणाली को लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत जब 115 करोड़ रूपये का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपये की प्रतिभूति रखना आवश्यक है।

बैंक दर : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य व्यापारिक प्रपत्रों को जिन्हें एक्ट के अन्तर्गत क्रय योग्य ठहराया गया है। क्रय करने या पुनर्बट्टा करने के लिए तैयार रहता है।

खुले बाजार की प्रक्रिया : खुल बाजार की क्रिया के अन्तर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है।

नकट आरक्षी अनुपात (CRR) : रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंको को उनके जमा का 3 से 15 प्रतिशत तक रिजर्व बैंक के पास रखने को कह सकता है। सीआरआर की दर जितनी ऊंची होगी व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता उतनी ही कम होगी और विलोमत: भी।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) : व्यापारिक बैंकों को अपने पास अपनी सम्पति का एक निश्चित अनुपात में तरल रूप में रखना आवश्यक होता हे। यह सीमा 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक हो सकती है। इन अनुपात में वृद्धि या कमी का वही प्रभाव होगा जो सीआरआर की वृद्धि या कमी का होगा।

रेपो दर : रेपों दर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेच जाने वाले सरकारी बाण्डों व प्रतिभूतियों (पुनर्खरीद समझौते के तहत) पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है।

2. **सरकार का बैंकर :** रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर एजेण्ट एवं परामर्शदाता का कार्य करता हैं। रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रतिनिधि है। वह भारत सरकार के लिए रूपया स्वीकार करता हैं, उसके रूपयों की अदायगी करता है तथा प्रेषण एवं अन्य बैंकिंग क्रियाएं करता है।
3. **बैंकों का बैंक तथा अन्तिम ऋणदाता :** रिजर्व बैंक को बैंको के बैंकर का कार्य करना पड़ता है। 1949 के बैंकिग विनियम अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग देयता का 5 प्रतिशत और अपनी सावधि जमा का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकद अधिशेष के रूप में रखना पड़ता था। 1962 में एक संशोधन मांग और सावधि त देयता में अंतर को समाप्त कर दिया गया और बैंको को अपनी समग्र जमा देयता का 3 प्रतिशत नकद-प्रारक्षण में रखने का आदेश दिया गया।
   - रिजर्व बैंक किसी बैंक को उस समय सहायता कर सकता है जबकि अन्य सभी बैंक इस कार्य में असमर्थ हो, इसलिये रिजर्व बैंक को न केवल बैंकों का बैंक बल्कि अन्तिम ऋणदाता भी कहा जाता है।
4. **साख का नियंत्रक :** रिजर्व बैंक साख के नियंत्रक का कार्य करता है अर्थात् इसे भारत में अन्य बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाना है।
   - रिजर्ब बैंक द्वारा साख नियंत्रण के मुख्यत: दो तरीके है।

1. परिणात्मक उपाय, तथा
2. चयनात्मक या गुणात्मक उपाय।

   - परिणात्मक साख नियंत्रण के अन्तर्गत-बैंक दर, खुली बाजार की क्रियाऐं नकद आरक्षण अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात आते है।
   - चयनात्मक साख नियंत्रण नीति के अन्तर्गत-न्यूनतम सीमा या मार्जिन, नैतिक दबाव, साख मापदण्ड का निर्धारण तथा साख स्वीकृतिकरण योजना आते है।
5. **देश के विदेशी मुद्रा कोषों को संरक्षक :** रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई को बाहरी मूल्य में स्थिर रखना रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक सम्मपन्न करने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड

(Securities and Exchange Board of India : SEBI)

- देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य प्रतिभूतियों के बाजारों को उचित उपायों के माध्यम से विकसित तथा उनका नियमन करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल, 1998 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना की गयी। सेबी को नरसिंहमन समिति की सिफारिशों के आधार पर 30 जनवरी, 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- सेबी का प्रबंध छ: सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें एक चेयरमैन, दो सदस्य, जिन्हें वित्त एवं कानून की जानकारी होती है, एक सदस्य रिजर्व बैंक से तथा दो अन्य सदस्यों का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

सेबी के कार्य

1. प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा

प्रतिभूति बाजार को उचित माध्यम से विकसित एवं नियमित करना।

2. म्यूचुअल फण्ड की सामूहिक भागेदारी।

स्वाभिमान योजना

स्वाभिमान योजना एक बैंकिंग योजना है जिसकी शुरुआत देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 10 फरवरी, 2011 को की गई है। मार्च 2012 तक स्वाभिमान अभियान के तहत शामिल की जाने वाली 73,000 चिह्नित बस्तियों में से लगभग 70,000 को कवर किया जा चुका है। 31 मार्च, 2012 तक शेष को कवर किए जाने की संभावना है।

स्वाभिमान योजना का विस्तार

स्वाभिमान वित्तीय समावेशन अभियान के तहत्, 2,000 से अधिक की जनसंख्या वाले 74,000 से अधिक वामस्थलों को विभिन्न मॉडलों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए बैंकिग सुविधाए प्रदान की गई है जिनमें व्यवसाय संवाददाताओं (बीसी) के जरिए शाखारहित बैंकिंग शामिल है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि स्वाभिमान का विस्तार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में 1,000 से अधिक की जनसंख्या वाले वासस्थलों में तथा मैदानी क्षेत्रों में, 1600 से अधिक की जनसंख्या वाले वासथलों को सम्मिलन हेतु अभिज्ञान किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसलबीसी) के संयोजकों के माध्यम में हुई प्रगति के अनुसार, अभिज्ञात वासस्थलों में से 10,450 वासस्थलों को दिसम्बर 2012 के अंत तक बैंकिग सुविधाएं प्रदान कर दी गई है, इसमें सभी वासस्थलों में बैंकों की पहुंच आबादी की आरम्भिक सीमा के ऊपर पहुंच जाएगी।

बेसल मानदंड

बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Bank Supervision-BCBS) द्वारा समझौतों का एक सेट जो पूंजीगत जोखिम, बाजार जोखित तथा संचालकीय जोखिम के संदर्भ में बैंकिंग विनियामकों पर सिफारिशें देती है। मानदंडों के मुख्य उद्देश्य के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय संस्थान अपनी देयताओं व अप्रत्याशित घाटों की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूंजी अपने पास सुरक्षित रखें।

बेसल-I : बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा साख जोखिम को कम करने हेतु अपने पास रखे जाने वाली न्यूनतम पूंजी अनिवार्यता है बेसन-I मानदंड। ये मानदंड पहली बार वर्ष 1988 में रखे गये थे। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार है बेसल-I मानदंड। ये मानदंड पहली बार वर्ष 1988 में रखे गये थे। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले वित्तीय संस्थानों को अपनी जोखिम भारांश संपदा (Risk Weighted Assets) के बराबर या न्यूनतम 8 प्रतिशत टीयर-1 व टीयर-2 पूंजी अपने पास रखना अनिवार्य किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बैंक की जोखिम भारांश संपदा 100 मिलियन डॉलर का है तो उसे न्यूनतम 8 मिलियन डॉलर की पूंजी अपने पास रखनी होगी। इसका उद्देश्य मुख्यत: वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखना रहा है।

बेसल-II बैसल II बेसल मानदंड का दूसरा चरण है। यह 26 जून, 2004 को जारी किया गया और वर्ष 2006 से लागू करने का प्रावधान किया गया। जहां बेसल एक साख जोखिम पर केंद्रित था वहीं बेसल दो का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग रखे जानी वाली पूंजी के लिए मानक तैयार करना व उसका विनियम करना था। बैंकों को निवेश व कर्ज देने की अपनी गतिविधियों के साथ जुड़े जोखिमों के मद्देनजर अलग से पूंजी रखना जरूरी होता है। बेसल II मानदंड मुख्यत: तीन कारकों पर प्रभाव डालता है। ये है; पूंजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षीय मूल्यांकन व बाजार अनुशासन। बेसल कमेटी इन तीनों कारकों को जोखिम प्रबंधन के तीन स्तंभ मानती है। बेसल 2 मानदंड की पूंजी पर्याप्तता स्तंभ के तहत बैंकों के लिए 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAr) या जोखिम भारांश संपदा अनुपात (Capital Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) बनाए रखना अनिवार्य है। सामान्यत: बैंक तीन प्रकार की जोखिमों का सामना करते है; ऋण संबंधी जोखिम, संचालकीय जोखिम व बाजार जोखिम। पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के तहत बेसल 2 मानदंड या सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक न केवल अपने जोखिमों की भारपाई के लिए अपने पास पर्याप्त पूंजी रखें वरन् अपने जोखिमों की निगरानी व प्रबंध न के क्रम में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीक का उपयोग व विकास भी करें। बाजार अनुशासन बैंकों पर अपनी बैंकिंग व्यवसाय को सुरक्षित, सुदृढ़ व प्रभावी तरीके से संचालन करने का निर्देश देता है। बैंकों के लिए अपनी पूंजी, जोखिम विवरण या एक्सपोजर देना अनिवार्य है ताकि बाजार के भागीदार उस बैंक की पूंजी पर्याप्तता का अनुमान लगा सकें।

बेसल-III : वर्ष 2008 की अमेरिकी सब प्राइम संकट व वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में बेसल 3 मानक तैयार किया गया। बेसल 2 में किसी खास बैंक के जोखिमों व विनियमनों को केंद्र में रखा गया था पर आर्थिक संकट को देखते हुये पूरी आर्थिक व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर बेसल-3 मानक को केंद्र में रखा गया।

जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2012 को नई वैश्विक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इस मानदंड को

'बेसल-3' के नाम से जाना जाता है। जिसे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर 31 मार्च, 2018 तक लागू किया जाएगा। बेसल 3 दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी की आवश्यकता प्रारंभिक अवधि के दौरान कम होगी जबकि बाद के वर्षों में सापेक्षत: अधिक होगी।

बेसल 3 पूंजीगत नियमों पर आधारित पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2013 से शुरू हो जाएगा। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में बैंकों से 9% के न्यूनतम कुल पंजी (Minimum Total Capital-MTC) को बनाए रखने की प्रत्याश जताई गई है। हालांकि बेसल समिति ने कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों (Risk Weighted Assets-RWAs) को 8% तक के ही स्तर को निर्धारित किया है।

- कॉमन इक्विटी टीयर 1 (CET 1) पूंजी, जोखिम भारित परिसंपत्तियों का कम से कम 5.5% होना चाहिए।

EduBull.com